केंद्र का ढाँचा

यह सेंटर मुंबई के गोरेगाँव (प.) के केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट (स्थापना १९५८) की तरफ़ से चलाया जाता है। जयंत धर्माधिकारी सेंटरके निर्देशक हैं और वर्षा राजन बेरी सेंटरकी समन्वयक हैं । पुष्पा भावे, गजानन खातू, जतिन देसाई, सुरेखा दलवी, युवराज मोहिते, प्रमोद निगुडकर, अमरेंद्र धनेश्वर, और नसरीन कॉंट्रॅक्टर यह सेंटरकी संयोजन समिती के सदस्य हैं ।

एडमिरल (अवकाशप्राप्त) एल.रामदास, अरुणा रॉय, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, कमला भसिन, दत्ता इस्वलकर, विभूति पटेल, मीना मेनन (सभी भारतीय), शेरी रहमान, करामत अली (पाकिस्तान), डॉ. सीमा समर (अफगाणिस्तान), निमल्का फर्नांडो (श्रीलंका), खुशी कबीर (बांगलादेश) यह सेंटरके सलाहकार समिती के सदस्य हैं।

दिसंबर २०१४ में सेंटर का शुभारंभ दक्षिण एशियाई देशों की एक परिषद के सफल आयोजन से हुआ। जिसका विषय था **हिंसा : मानवीय एवं राजनीतिक आपदा** (वायलेन्स: ह्युमन ऐण्ड पोलिटिकल प्रेडिकैमेंट)। **टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज़** (टिस) के सहयोग से संपन्न हुई इस परिषद में ३०० लोगों ने भाग लिया। सेंटर ने परिषद की पूरी रपट तैयार कर उसे व्यापक स्तर पर वितरित किया। इसके साथ ही शुरु हुआ टिस और सेंटर के सहयोग का एक लंबा सिलसिला।

जैसा कि इस परिषद में तय हुआ था, अब सेंटर भारत और दक्षिण एशिया के अलग अलग देशों में **दक्षिण एशियाई पुरुषसत्ताक व्यवस्था** को लेकर कार्यशालाओं के आयोजन करता है।

पहली कार्यशाला जून २०१५, पूना में संपन्न हुई, जिसका विषय था **प्रतिष्ठा के नाम पर होनेवाली हिंसा।** कार्यशाला में **हिंसा : पुरुषसत्ताक व्यवस्था, जाती एवं सामप्रदायकता, वैश्विकीकरण और संभ्रमित आधुनिकता** आदि जुड़े मसलों और उनके आपसी संबंधों का जायज़ा लिया गया।

नवंबर-दिसंबर २०१५, जयपुर में दूसरी कार्यशाला ''**उभरते जातीय अहंकार, उनके अपने क़ायदे-कानून के बढ़ते शिकंजे और महिलाओं के साथ होनेवाले अत्याचार**'' विषय पर संपन्न हुई। इसमें १०० से अधिव इन विषयों पर काम करने वाले कार्यकर्ता उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत से शामिल हुअे।

जी हाँ, आप यह कर सकते हैं।

मृणाल गोरे की याद में आरंभ किया गया यह महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संभव हो सका सिर्फ़ आप जैसे लोगों की सहायता और तहे-दिल से की गई आर्थिक मदद के बल पर, जिन्हें यह विश्वास है कि शांतिप्रिय और न्यायप्रिय समाज का निर्माण संभव है।

इस तरह के बड़े प्रकल्प को सफलता से चलाते रहने के लिए तीन साल के अंदर कम से कम ४ करोड़ रुपयों की राशि जमा करने की ज़रूरत है ।

जिन आदर्शों का प्रतिनिधित्व मृणालताई हमेशा करती रहीं, उन सबको क़ायम करने की कोशिश करना हम जैसे सामाजिक प्रतिबद्धता को माननेवाले लोगों का कर्तव्य है - मृणालताई के प्रति और हमारे अपने प्रति।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रकल्प को सफल बनाने और मृणालताई की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए उदारता से अपना आर्थिक योगदान दें।

अपने चेक और ड्राफ्ट 'केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट' के नाम भेजें, जिसे इनकम टैक्स एक्ट १९६१ के तहत ८०जी प्रमाणपत्र प्राप्त है। ट्रस्ट का एफसीआरए पंजीकरण भी हो चुका है।

पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें:

जयंत धर्माधिकारी
(09820039694)

वर्षा राजन बेरी
(09820603704)

हमारा इ मेल:
mrinalgoreic@gmail.com
kgstmtnl@gmail.com

मृणाल गोरे

इंटरएक्टिव सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ऐण्ड पीस इन साऊथ एशिया

केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट
आरे रोड, गोरेगाँव (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६२
टेली. (०२२) २८७२४१२३
इ-मेल - mrinalgoreic@gmail.com / kgstmtnl@gmail.com

''जन्म हर स्त्री-भ्रूण का अधिकार है। स्त्री-भ्रूण-हत्या को अपराध माना जाना चाहिए''। - **मृणाल गोरे**

मृणाल गोरे (१९२८-२०१२) किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जुझारु समाजवादी नेता मृणाल गोरे '**पानीवाली बाई**' के नाम से जानी जाती थीं। मानवाधिकारों, समाज के दुर्बल आर्थिक तबक़े के लोगों और नारी अधिकारों के लिए लड़नेवाली नेता थीं।

वह कई बार अपने चुनावक्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभामें चुनी गई थीं। वह एक परिणामकारक विरोधी पक्ष नेता थीं। १९७७ में मृणालताई लोकसभा संसद की सदस्य भी चुनी गयीं।

समाज के उपेक्षित वर्ग के दुख-दर्द और उनकी माँगों को लेकर रास्ते पर उतरनेवाली मुंबई की महिलाओं में वह अग्रणी थीं। महिलाओं में आत्मसम्मान जगाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया, ताकि महिलाएँ तमाम बेड़ियों से अपने आपको मुक्त कर सकें।

उन्होंने अपने विचार और काम को शहर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर पुरे देश के सवालों कों आपस में जोड़ने का काम भी किया।

इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि मृणालताई जीवन भर जिन मसलों से लड़ती रहीं, जिन बुराइयों के खिलाफ़ आवाज़ उठाती रहीं वह समाज में आज भी मौजूद हैं और जिनके खिलाफ़ कदम उठाना बेहद ज़रूरी है।

अच्छी शिक्षा और आरोग्य-सेवा का अभाव, अर्थ-व्यवस्था में उचित स्थान और सम्मान पाने की जद्दो-जहद, शहरों में जा बसने की अपनी मर्ज़ी या मजबूरी, महिलाओं की होनेवाली ख़रीदफरोख़्त, विभिन्न प्रकार के हिंसाचार आदि को रोकने के लिए वह जूझती रहीं।

इनमें से कुछ समस्याओं का रूप अब बदल गया है। मसलन, यह सच है कि आज दक्षिण एशियाई देशों की राजनीति में दखल देनेवाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। यह बताना मुश्किल है की क्या उनकी सामाजिक स्थिति में वाक़ई सुधार आया है या अभी भी वह पुरुषसत्ताक व्यवस्था के तले दबी हुई हैं?

इसलिए मृणालताई के काम को आगे ले जाने की और तेज़ी से होते वैश्विकीकरण में उसे और व्यापक बनाने की ज़रूरत बढ़ गयी है।

अलग अलग सामाजिक आंदोलनों से और मृणालताई के काम से जुड़े हुए हमारे जैसे कुछ लोगों ने ''**मृणाल गोरे इंटरएक्टिव्ह सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ऐण्ड पीस इन साऊथ एशिया**'' की स्थापना की है।

मृणालताई को दी गई यह सबसे सही श्रद्धांजली है।

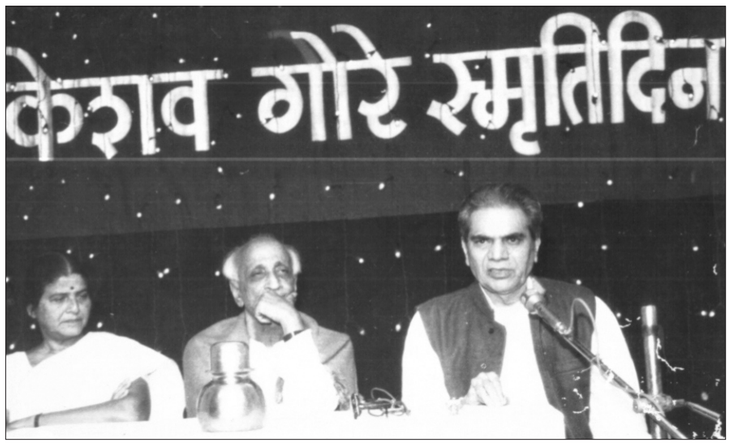

उद्देश्य

सेंटर के कई उद्देश्य हैं। यह सेंटर एक ऐसा मंच है जहाँ लोग, अलग अलग जनसमूह आपस में चर्चा कर सकते हैं, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, अलग अलग मसलों को समझने की कोशिश करते हैं, अभियान चलाते हैं।

मृणालताई के विचारों ने, उनके काम ने जड़ तो पकड़ी मुंबई में, मगर फिर वह वहीं तक सीमित न रहकर दूर दूरतक फैली। इसीतरह प्रस्तुत सेंटर की गतिविधियाँ भी अब दक्षिण एशियाई देशों के महत्त्वपूर्ण मसलों से जूझने लगी हैं।

इसीलिए, इस तरह के सेंटर की स्थापना पहले भारत में हो और फिर इसकी गतिविधियाँ दक्षिण एशिया के सभी देशों के वासियों तक पहुँचे यही मृणालताई की याद का सबसे उचित गौरव साबित होगा।

केंद्र के बारे में

सेंटर मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है -

१) दक्षिण एशियाई पुरुषसत्ताक के मुद्दे को उठाते हुए उसके तहत आनर किलिंग की शक्ल में होते अपराध, स्थलांतरण, जाति और धर्म के नाम पर होती हिंसा, अधकचरी आधुनिकता आदि और समाज एरां खास कर महिलाओं पर उनके प्रभाव की चर्चा करना।

२) पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल के बदले अपने दक्षिण एशियाई नज़रिये से उपर्युक्त मसलों से भिड़ना।

३) इस बात का ध्यान रखना कि महिला, शांति और सुरक्षासंबंधी युनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काऊंसिल रेज़ोल्युशन १३२५ और १८२० का पालन हो रहा है या नहीं। क्यों कि इसकी ज़िम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं बल्कि समाज की भी है।

४) विभिन्न प्रदेशों के बेहतर प्रशासन के उदाहरणों का दस्तावेज़िकरण करना और अलग अलग जनसमूहों को ऐसी गतिविधियों में शामिल करवा लेना, उसके लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास करना।

कार्य-पद्धति

- प्राथमिक एवं आनुषंगिक रिसर्च
- प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं के आयोजन
- नेटवर्किंग और परस्पर संवाद
- विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन के लिए अपील करना
- अतिसंवेदनशील जनसमूहों तक पहुँचना